न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 24/24 GCMS NO 2024/74

1. मुरारी पुत्र तबलू
2. बाबूलाल
3. कमलेश
4. मु0दीपू पिसरान कन्नू समस्त जातियान कोली निवासीयान महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. अलीशेर पुत्र अल्लार खां
6. अमरदीन पुत्र सम्पत
7. बबलू पुत्र दीना
8. बाबू पुत्र सम्पत
9. रहीम पुत्र सम्पत
10. शहीद पुत्र दीना
11. सत्तार पुत्र दीना
12. सीराज पुत्र दीना समस्त जातियांन तेली निवासीयान महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार
2. सुरेन्द्र कुमार पिसरान लक्ष्मीनारायण
3. प्राची पत्नि सुरेन्द्र कुमार
4. राधा पत्नि महेन्द्र कुमार
5. बलदेव पुत्र जगराम सोनी जातियान सुनार निवासीयान महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. देवेन्द्र सिह पुत्र भरत सिह सोलंकी जाति जाट निवासी महूइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध निर्णय मु0नं0 72/22 दिनांक 6.12.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईश्वर सोनी

दिनांक 25.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से [illegible] विरुद्ध निर्णय दिनांक 6.12.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा 5 ता 12 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि ख0न0 810 ग्राम महूइब्राहिमपुर से प्रार्थीगण के खेतो को आने जाने का एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ता आम के दक्षिण मे अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख0न0 789,790,846,877 के दक्षिण एवं पूर्व दिशा मे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 879,878,852,861 स्थित ग्राम महू इब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन स्थित है। प्रार्थीगण की आराजीयात को कृषि साधन व मवेशियो को लाने व ले जाने बाबत एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो की डोल पर होकर विगत सैकडो साल से मौजूद रहा है। अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 889,890,846,877 की डोल से गुजरने वाला रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो के साथ साथ अन्य खातेदारान के खेतो को भी उपलब्ध एक मात्र रास्ता है। उक्त समस्त खातेदारान अपनी अपनी सहमति से एक दुसरे की खातेदारी के खेतो की डोल मेड के सहारे सहारे होकर उपलब्ध रास्ते मे होकर आते जाते है। वही कम आज भी बदस्तूर है। जिसका खातेदारान के मध्य कोई विवाद नही है। खसरा न0 790 आम रास्ते के सहारे स्थित होने के कारण अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी का बेजा लाभ उठाकर प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने पर आमादा है। जिसमे खेत ख0न0 846, 877 के खातेदारान व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का सहयोग करते है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण के खेतो मे होकर हालांकि चालू है लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड मे उक्त रास्ता दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के आवागमन मे मवेशियो के आवागमन एवं कृषि साधनो के आवागमन मे आये दिन व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थीगण द्वारा खसरा न0 890 की पूर्वी डोल पर होकर जा रहे रास्ते को कटीले तार लगाकर अवरूद्व कर दिया जिसके संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से पुछा तो उनके द्वारा कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी मे दर्ज है इसलिए इस रास्ते को हमने बंद कर दिया है। अब इस रास्ते से प्रार्थीगण को नही निकलने देगे। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमियो को काश्त की सहूलियत वावत अप्रार्थीगण की खातेदारी मे से 20 फीट चौडा रास्ता सम्पूर्ण लम्बाई मे ख0न0 810 रास्ते से लेकर ख0न0 852 की उत्तरी डोल तक नियमानुसार दिलाया जांवे जिसकी ऐवज मे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण खातेदारान को भूमि का मूल्य अदा करने को तैयार है। अतः खसरा न0 810 से लेकर ख0न0 790,789 की पूर्वी डोल पर होकर 846 मे होते हुए ख0न0 879,878 की पश्चिमी डोल पर होकर ख0न0 877 व 876 की मध्य डोल पर होकर ख0न0 861 तक प्रार्थीगण को 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमियो को काश्त करने हेतु दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की तरमीम रेवेन्यू शीट मे दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा 5 ता 12 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
करौली (सवाईमाधोपुर)

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह कही नही बताया कि आवेदकगण को अपनी भूमि ख0न0 852,861,878,879 मे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर अन्य कही किसी जगह होकर रास्ता रहा हो तथा उक्त स्थिति के संबंध मे अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब मे कोई तथ्य अंकित नही किया है जबकि मुताबिक कानून उक्त प्रावधान के अनुसार कृषि जोतो के लिए काश्तकार को अपनी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने बाबत उक्त प्रावधान बनाया गया है, ऐसी स्थिति मे जब आवेदकगण/अपीलांटस को अपनी भूमि मे कृषि जोतो हेतु आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है और वह अप्रार्थीगण/रेस्पो0 की भूमि मे होकर बुजुर्गान बजमाने आवागमन कर अपनी भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उक्त स्थिति के मुताबिक कानून अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर अपीलांटस रास्ता प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर आदेश खिलाफ कानून पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि मे होकर रास्ता दिये जाने पर कई खातेदारो को असुविधा का सामना करना पडेगा, लेकिन रेस्पो0 ने यह कही नही बताया कि उनकी भूमि मे होकर रास्ता देने पर उन्हे क्या और किस प्रकार की असुविधा होगी, जबकि उक्त भूमि मे होकर रास्ता देने पर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 उनकी भूमि की सरकारी रेट से तीन गुनी राशि प्राप्त करते और उक्त रास्ता प्रार्थीगण/अपीलांट का निजी रास्ता ना होकर सभी खातेदारो के उपयोग हेतु रिकार्ड मे सरकारी रास्ता कायम किया जाता, ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 के उक्त रास्ता दिये जाने के संबंध मे किसी प्रकार की कोई असुविधा नही थी, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण स्थिति को इग्नोर कर खिलाफ कानून आदेश पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर उक्त खसरा नम्बरो पर कोई रास्ता मौजूद नही होना कहा है, इसके साथ उक्त मौका रिपोर्ट मे अपीलांटस को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो, ऐसा कोई भी अंकन तहसीलदार की रिपोर्ट मे नही है। इस संबंध मे सरपंच ग्राम पंचायत रेवई व सरपंच ग्राम पंचायत चौसला व सरपंच ग्राम पंचायत महूइब्राहिमपुर के द्वारा भी इस संबंध मे अपने लेटरहैड पर यह स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि मे होकर ही लोग आते जाते है तथा इस सबंध मे मौके के फोटोग्रॅफ जिनमे उक्त भूमि मे आवागमन से मौके पर रास्ते के अलामात मौजूद है तथा अपीलांट को अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, मगर अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने बसाज न्यायालय ने आवश्यकता से अधिक महत्व देकर व प्रार्थीगण/अपीलांटस की और से पेश दस्तावेजी साक्ष्य को इग्नोर कर सरसरी तौर पर उक्त आदेश विधि विरूद्व रूप से पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 26.9.23 को वकील प्रार्थीगण की और से मौके की जॉच हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके जबाब हेतु दिनांक 9.10.23 व 26.10.23 नियत की गई तथा दिनांक 28.11.23 को दिनांक 26.9.23 मे पेश प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश करनी और उसे रिकार्ड पर लेना आदेशिका मे अंकित किया गया तथा मकान... तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त होना भी आदेशिका मे अंकित कर दिनांक 26.9.23 को प्रार्थीगण द्वारा इस हेतु पेश प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र को खारिज कर दिया, जबकि पूर्व मे तहसीलदार की मौके की जॉच रिपोर्ट किस आदेश से या किस प्रार्थना पत्र पर मंगाई गई, यह सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आदेशिकाओ मे कही भी अंकित नही है , ऐसी स्थिति मे तहसीलदार की उक्त मौका रिपोर्ट किस आदेश के माध्यम से पत्रावली मे संलग्न की गई है, ऐसा कोई भी आदेश सम्पूर्ण पत्रावली मे नही है, इससे स्पष्ट है कि उक्त समस्त कार्यवाही बिना प्रार्थीगण को इस संबंध मे सुनवाई का अवसर दिये बसाज अप्रार्थीगण की गई, जो कि न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत है। और इसी कारण तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मौके के अनुसार रिपोर्ट नही देकर अप्रार्थीगण से साज कर गलत मौका रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिलकुल गलत आदेश पारित किया गया, इसलिए प्रकरण को उक्त आधार पर रिमाण्ड फरमाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। रेस्पो0 अधिवक्ता के द्वारा अपील को डिले से पेश किये जाने हेतु आधार लिया है और यह तर्क दिया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 24.1.24 को हो गई तो उनके द्वारा अपील दायर करने की मियाद दिनांक 6.2.24 तक अपील क्यो नही पेश की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नही है जबकि इस संबंध मे अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त दिनांक को आदेश की नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह मशविरा लेने मे दिनांक 6.2.24 तक की समयावधि निकल गई तत्पश्चात ही अपीलांटस दिनांक 24.1.24 को इल्म की तिथी से अन्दर दो माह अपील पेश की गई है इसके अतिरिक्त यहॉ पक्षकारो के अधिकारो का मैरिट पर निस्तारण होना हो, वहां मियाद के बिन्दु को टेक्नीकल रूप मे नही लेना चाहिए बल्कि मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपनाते हुए उसे कन्डोन किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति मे अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना कानूनन आवश्यक है, इसलिए रेस्पो0 का मियाद के बिन्दु का तर्क भी आधारहीन है। रेस्पो0 के अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलांट न0 3 व 4 मूल प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही थे क्योकि मूल प्रार्थना पत्र के टाईटल मे प्रार्थी क्रमांक 3 व 4 का कॉलम खाली है जबकि अपील मे कमलेश व दीपू को प्रार्थी संख्या 3 व 4 गलत रूप से पक्षकार बनाया है, इस संबंध मे मूल प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी संख्या 3 व 4 का अंकन होने से रह गया जबकि मूल प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण मे अपीलांट संख्या 3 व 4 दर्ज है और उनके उस निशानी हो रही है अर्थात कमलेश व दीपू पिसरान कन्नू दोनो की प्रार्थीगण मे अंकित नामो के साथ निशानी है इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो पक्षकार प्रकरण मे प्रार्थी रहे है इसलिए अपील मे उन्हे पक्षकार न0 3 व 4 बनाया गया है इसलिए रेस्पो0 का उक्त तर्क भी आधारहीन व निरर्थक है। और अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी प्रकार रेस्पो0 का तर्क था कि प्रार्थीगण का खेतो को आने जाने का रास्ता ख0न0 810 मे है इसलिए अपीलांटस को प्रार्थना पत्र मे वर्णित रास्ते की कोई आवश्यकता नही है और प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के तहत पोषनीय नही है। यक तर्क बिलकुल गलत है क्योकि प्रार्थीगण ख0न0 810 जो कि गैर मुमकिन रास्ता प्रार्थीगण के खेतो के उत्तर की ओर स्थित है जिसमे होकर प्रार्थीगण दक्षिण मे स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत ख0न0 789,79 46,8 के दक्षिण एवं पूर्व दिशा मे प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 872,873,852,8 मौजा इब्राहिमपुर मे आते जाते है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि मे उत्तर की और स्थित ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ते मे होकर दक्षिण मे स्थित अपनी भूमि मे अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर आंवागमन करते है इसलिए भी रेस्पो0 का उक्त तर्क निरर्थक व आधारहीन है। इसी प्रकार रेस्पो0 अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का तर्क रहा कि अपीलांटस ने विवादित आराजीयात के सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है बिलकुल गलत रहा है। जबकि अपीलांटस के द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने के संबंध मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा ही परेशान कर रास्ता नही दिया जा रहा था जबकि शेष व्यक्तियो अर्थात अन्य खातेदारान द्वारा रास्ता दिये जाने के संबंध मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है, ऐसी स्थिति मे प्रकरण हाजा मे संबंधित ख0न0 के खातेदारान को प्रार्थीगण के द्वारा प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है जो अपीलांटस व रेस्पो0 के रूप मे प्रकरण मे समाहित है। इसलिए रेस्पो0 का उक्त तर्क भी आधारहीन है अगर ऐसा वास्तव मे होता तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उक्त तर्क को आवश्यक रूप से डिस्कस किया जाता तथा उक्त तर्क के संबंध मे रेस्पो0 ने जबाब प्रार्थना पत्र मे कही कोई उज्र नही लिया है और ना ही ऐसी स्थिति मे ऐसी किसी तर्क को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे डिसकस किया है इसलिए अपील की स्टेज पर उक्त तर्क को रेस्पो0 लेने के मुताबिक साक्ष्य अधिनियम विबंधित/स्टोप्ड है, इसलिए रेस्पो0 का उक्त तर्क भी आधारहीन है। रेस्पो0 के अधिवक्ता का तर्क रहा कि अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नम्बरो मे से रास्ता चाहा है उनकी नक्शा ट्रेस की प्रति अपूर्ण पेश की है जिसमे ख0न0 810 को अपूर्ण दिखाया गया है जबकि जबाब अप्रार्थीगण के साथ पेश नक्शा ट्रेस का प्रार्थीगण द्वारा पेश नक्शा ट्रेस से मिलान करने पर प्रार्थीगण का नक्शा ट्रेस अपूर्ण पेश किया है इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बिलकुल सही खारिज किया है। रेस्पो0 का उक्त तर्क माने जाने योग्य नही है। क्योकि अधिनस्थ न्यायालय ने यह कही नही बताया कि ख0न0 810 जो कि गैर मुमकिन रास्ता रहा है, उक्त रास्ता प्रार्थीगण/अपीलांटस की खातेदारी की भूमि तक जाता हो यह कही भी रेस्पो0 ने नही बताया और अपीलांटस की भूमि तक उक्त रास्ता जाता हो, ऐसा नक्शा ट्रेस मे कोई अंकन नही है। बल्कि नक्शा ट्रेस के मुताबिक ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 786 की पूर्वी डोल से लगवा ख0न0 785 के मुहाने तक जो कि ख0न0 786 की पूर्वी डोल के आधे भाग पर ही रह जाता है तक है, न कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेतो तक। ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय ने यह कही भी स्पष्ट नही किया कि जो नक्शा ट्रेस पेश किया है जो प्रार्थीगण के रास्ते के क्लेम को समाप्त करता हो, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का व रेस्पो0 का उक्त तर्क भी रिकार्ड के विपरीत होने से महत्वहीन व आधारहीन है। तथा प्रकरण प्रार्थीगण के खेतो के आवागमन मे व फसल के बुवाई सिचाई व उसके कटाई आदि को ले जाने व लाने के साधनो के उपयोग के संबंध मे जो कि प्रार्थीगण के खेतो तक पहुँच सके और प्रार्थीगण खेतो का सुचारू उपयोग कर सके के बाबत पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे होकर प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है , ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को पूर्णरूपेण विधिक रूप से साबित किया है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण स्थिति को ओवरलुक करते हुए उक्त आदेश विधि विरूद्व पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता प्रदान किया जाकर रास्ते का अमल राजस्व रिकार्ड मे किया जावे, इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिकाओ के विपरीत प्रकरण मे कार्यवाही करने व बिना आदेश के प्रकरण मे तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:43:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिण्डौन से मौका रिपोर्ट मंगाने के आधार पर पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने हेतु और नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की किसी भी आराजीयात को कृषि साधन लाने व ले जाने के बाबत कोई एक मात्र रास्ता रेस्पो0 के खेतो की डोल पर होकर विगत वर्षो से या कभी भी मौजूद नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। इस प्रकार का कोई रास्ता मौजूद नही है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नक्शा मे लाल रंग की डोटेड लाईनो से रास्ता गलत प्रदर्शित किया है एवं नक्शा भी अपूर्ण पेश किया है। जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे डिसकस किया है एवं नक्शे का अपूर्ण माना है। बल्कि ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ता, ख0न0 786 व 785 के मध्य होकर उक्त दोनो खसरा नम्बरान की दक्षिणी डोल तक ख0न0 783 के लिए जाता है। खसरा न0 846 एवं 877 की डोल पर होकर कोई रास्ता ख0न0 810 तक नही जाता है। जिसे तहसीलदार द्वारा अपने मौका रिपोर्ट मे माना है। प्रार्थीगण जबरन कानून का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो0 की आराजीयात मे से रास्ता चाहते है। अपीलांट द्वारा अपील मे अपीलांट संख्या 3 व 4 को अलग से पक्षकार बनाया गया है जबकि अपीलांट संख्या 3 व 4 अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ही नही थे। इस प्रकार पक्षकारो के कुसयोजन से भी अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। इसी प्रकार प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा ख0न0 846 म से भी रास्ते की मांग की गई है जबकि उनको पक्षकार ही नही बनाया गया है। उक्त ख0न0 846 जगन्नाथ के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जगन्नाथ फौत हो गया है उनके जायज वारिसान को भी पक्षकार नही बनाया गया है। इसी प्रकार ख0न0 879 मे से भी रास्ते की मांग अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा की गई थी परन्तु ख0न0 879 के खातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अपील पेश करने मे हुई देरी का कारण नकल प्राप्त करना एवं कानूनी सलाह लेने के कारण अपील पेश करने मे बिलम्ब हुआ है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा ही पेश किया था जिसके निर्णय की जानकारी अपीलांटस/प्रार्थीगण को शुरू से ही थी। इस कारण अपीलांट का यह कथन मिथ्या है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील 57 दिवस डिले से पेश की गई है। जिसके डिले का कोई विधिक कारण का उल्लेख भी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे नही किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार हिण्डौन से मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रार्थीगण/अपीलांटस व अप्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधिवत विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र 251 ए प्रस्तुत कर ग्राम महुइब्राहिमपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली के खसरा न0 810 से लेकर ख0न0 790,789

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की पूर्वी डोल पर होकर 846 मे होते हुए ख0न0 879,878 की पश्चिमी डोल पर होकर ख0न0 877 व 876 की मध्य डोल पर होकर ख0न0 861 तक प्रार्थीगण को 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमियो को काश्त करने हेतु रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ते के सबंध मे तहसीलदार हिण्डौन सिटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार हिण्डौन महुवा रोड से लिंक गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 810 ग्राम महूइब्राहिमपुर मौके पर चालू बताया गया है। उक्त रास्ते के दक्षिणी तरफ की भूमि की खातेदारी ख0न0 790, 789 रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे से होकर सैकडो वर्षो से अपीलांटगण/प्रार्थीगण अपने खेतो पर आवागमन होना बतात है परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त ख0न0 से कभी भी आवागमन नही रहा है। ना ही वर्तमान मे है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मिथ्या साबित है। अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस के अवलोकन से जाहिर है कि ख0न0 810 गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 786 व 785 के मध्य होकर गुजरता है। जो अपीलांटगण/प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर पहुॅचता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण/प्रार्थीगण की भूमियो पर पहुॅच का रास्ता पूर्व से मौके पर मौजूद है। पूर्व से मौजूद रास्ते के अलावा अन्य रास्ते की मांग किया जाना राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के प्रावधानो के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तहसीलदार हिण्डौन सिटी की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्पूर्ण विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 72/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 6.12.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.8.2025को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:23 IST
Reason: SelfAttested